महिला सशक्तिकरण एक सफल प्रयास– भारत सरकार के दृष्टिकोण से

डॉ0 मो0 इमरान आलम*

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाकर उनके प्रति होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है ताकि वे अपनी परम्परागत दब्बू प्रकृति के आवरण से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सके।

भारतवर्ष सहित पूरे विश्व में "महिला सशक्तिकरण" शब्दावली का प्रयोग पिछले एक दशक से कुछ विशेष जोरों से किया जा रहा है। यदि भारत के विशेष संदर्भ में देखे तो जानकारी मिलती है कि यहाँ आजादी के बाद सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं में पहले तीन दशकों तक "महिला कल्याण" शब्दावली का आमतौर पर प्रयोग किया जाता रहा। 80 के दशक में इसके स्थान पर "महिला समानता या उन्हें बराबरी का हक दिलाने पर जोर देने की बात की जाने लगी। 90 के दशक के अंतिम चरण में चारों ओर महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकार की गूँज बहुत तेजी से होने लगी। इन विभिन्न शब्दावलियों के शब्दिक अर्थो पर गौर करने से मालूम होता है कि सशक्तिकरण अथवा अधिकार शब्द पूर्व प्रयुक्त सभी शब्दों की तुलना में अधिक व्यापक और गंभीर है। इसमें अधिकारों और शक्तियों का स्वाभाविक रूप से समावेश हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आन्तरिक कुशलताओं और शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिसके लिए समाज में आवश्यक कानूनों सुरक्षात्मक प्रावधानों और उनके भली–भाँति क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था होना आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण के संबंध में ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिशनर फॉर ह्यूमन राइट्स ने लिखा है कि "यह औरतों को शक्ति, क्षमता तथा काबलियत देता है ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधारकर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सके"। यह वह प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की समझ देता है ताकि वे सत्ता के प्रश्न को समझकर सत्ता के स्रोतों पर नियंत्रण कर सके। व्यापक और व्यवहारिक तौर पर यदि महिला सशक्तिकरण का अर्थ तलाशा जाए तो कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं के लिए सर्व–सम्पन्न और विकसित होने की सम्भावनाओं के द्वार खुले, नए विकल्प तैयार हो, भोजन, पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिशु पालन, प्राकृतिक संसाधन बैकिंग सुविधाएँ, कानूनी हक और प्रतिभाओं के विकास हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त हो। महिला सशक्तिकरण की माप करने हेतु इसके अन्तर्गत सामान्य तौर पर निम्नांकित चार तत्वों को सम्मिलित किया जाता है –

1. संसद/विधान मण्डलों में महिलाओं की भागीदारी का अंश।
2. प्रशासन एवं प्रबन्धन में उनकी भागीदारी का प्रतिशत।
3. प्रोफेशनल एवं तकनीकी सेवाओं में उनका अनुपात।
4. महिलाओं की प्रतिव्यक्ति आमदनी और तुलनात्मक आर्थिक स्थिति।

महिला सशक्तिकरण की माप के लिए उपयुक्त चार तत्वों के अतिरिक्त अन्य समसामयिक मुद्दों को भी शामिल किया जा सकता है जैसे उनकी शैक्षिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, देशाटन की सुविधा, निर्णय का अधिकार, सत्ता के साथ–साथ सम्पत्ति में पुरुषों के बराबर उनका हक आदि। इसके लिए बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएँ चलाना शिशु–कन्या का भ्रूण हत्या को कठोरतापूर्वक रोकना, महिला के नाम भी ससुराल और मायके में सम्पत्ति होना यानि कि आर्थिक रूप से उसे सशक्त बनाना नौकरियों में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान रखना, दहेज हत्या रोकना, पुत्र पैदा न होने अथवा बांझ होने पर उत्पीड़न से संरक्षण देना बाल श्रम की भाँति महिला श्रम के भी मानदण्ड तय करना, महिलाओं को परिवार नियोजन की समुचित सुविधाएँ उपलब्ध कराना, मुत शिक्षा आदि बातें शामिल की जा सकती है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को "महिला सशक्तिकरण वर्ष" के रूप में मनाने का निर्णय किया गया था। इससे इस वर्ष विशेष में देश में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से अधिक सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को नई गति प्रदान करने का प्रयास किया गया। उनके प्रति बढ़ रहे दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाओं में कमी लाने, अधिकारों और नारी शक्ति के संबंध में उनके जागरूकता और चेतना विकसित करने हेतु सार्थक प्रयास किए जाने की घोषणाएँ की गई। "महिला सशक्तिकरण वर्ष" में केन्द्र सरकार द्वारा देश में पहली बार एक "राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति" बनाई गई ताकि देश में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान समुचित विकास और समानता के लिए आधारभूत व्यवस्थाएँ निर्धारित किया जाना संभव हो सके।

***स्नातकोत्तर राजनीति शास्त्र विभागबी0एन0एम0यू0, मधेपुरा।**

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में आज भी सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आजाद भारत की सरकार में यह मसला अब तक प्रमुख रहा है। भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन–काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्य युगीन काल के निम्नस्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई है। हाँलांकि भारत में महिला साक्षरता दर धीरे–धीरे बढ़ रही है लेकिन यह पुरुष साक्षरता दर से कम है। लड़कों की तुलना में बहुत कम लड़कियाँ स्कूलों में दाखिला लेती हैं और उनमें से कई बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। 1977 के नेशनल सैम्पल सर्वे डेटा के मुताबिक केरल और मिजोरम राज्यों ने सार्वभौमिक महिला साक्षरता दर को हासिल किया है। ज्यादातर विद्वानों ने केरल में महिलाओं की बेहतर सामाजिक और आर्थिक स्थिति के पीछे प्रमुख कारक साक्षरता को माना है।

आमधारणा के विपरीत महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत कामकाजी है। राष्ट्रीय आँकड़ा संग्रहण एजेंसियाँ इस तथ्य को स्वीकार करती हैं कि श्रमिकों के रूप में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक गंभीर न्यूनानुमान है। हाँलाकि पारिश्रमिक पाने वाले महिला श्रमिकों की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत ही कम है। शहरी भारत में महिला श्रमिकों की एक बड़ी संख्या मौजूद है। एक उदाहरण के तौर पर सॉटवेयर उद्योग में 30 प्रतिशत कर्मचारी महिलाएँ है। वे पारिश्रमिक और कार्यस्थल पर अपनी स्थिति के मामले में अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ बराबरी पर है।

ग्रामीण भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल महिला श्रमिकों को अधिक से अधिक 89.5 प्रतिशत तक को रोजगार दिया जाता है। कुल कृषि उत्पादन में महिलाओं की औसत भागीदारी का अनुमान कुल श्रम का 55 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक है। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ सबसे प्रसिद्ध महिला व्यापारिक सफलता की कहानियों में से एक है। 2006 में भारत की पहली बायोटेक कंपनियों में से एक बायोकॉन की स्थापना करने वाली किरण मजूमदार–शॉ को भारत की सबसे अमीर महिला का दर्जा दिया गया था। ललिता गुप्ते और कल्पना मोरपारिया भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को संचालित करती है। अधिकांश भारतीय परिवारों में महिलाओं को उनके नाम पर कोई भी सपंत्ति नहीं मिलती है और उन्हें पैतृक संपत्ति का हिस्सा भी नहीं मिलता है। महिलाओं की सुरक्षा के कानूनों के कमजोर कार्यान्वयन के कारण उन्हें आज भी

जमीन और संपत्ति में अपना अधिकार नहीं मिल पाता है। वास्तव में जब जमीन और संपत्ति के अधिकारों की बात आती है तो कुछ कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं।

1986 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक वृद्ध और तलाक शुदा मुस्लिम महिला, शाहबानो के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। हांलाकि कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं ने इस फैसले का जोर–शोर से विरोध किया और उन्होंने यह आरोप लगाया कि अदालत उनके निजी कानून में हस्तक्षेप कर रही है। बाद में केन्द्र सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम को पारित किया।

इसी तरह ईसाई महिलाओं ने तलाक और उत्तराधिकार के समान अधिकारों के लिए वर्षों तक संघर्ष किया है। 1994 में सभी गिरिजाघरों ने महिला संगठनों के साथ संयुक्त रूप से एक कानून का मसौदा तैयार किया जिसे ईसाई विवाह और वैवाहिक समस्याओं का कानून कहा गया। हाँलाकि सरकार ने प्रासंगिक कानूनों मं अभी तक कोई संसोधन नहीं किया है। आज भी समय–समय पर महिलाओं के अधिकारों की माँग सभी जगह उठती रही है। चाहे वह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा हो या विधान परिषद। लेकिन महिलाओं को अधिकार देने से पहले हमें उन्हें सशक्त बनाना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

(1) राज्य सभा पासेस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल – द हिन्दू, अभिगमन तिथि, 25 अगस्त 2010

(2) वुमेन्स इन हिस्ट्री–रिसोरसेस सेन्टर फॉर वुमेन, अभिगमन तिथि 24 दिसम्बर 2006

(3) आर0 सी0 मजूमदार और ए0 डी0 पुसल्कर–भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति, भारतीय विद्या भवन मुम्बई–1951

(4) नेशनल पॉलिसी फॉर द इम्पावरमेन्ट ऑफ वुमेन (2001) 24 दिसम्बर 2006

(5) द मुस्लिम वुमेन–प्रोजेक्सन ऑफ राइट्स ऑफ डायर्वोस–1986

(6) एशियास वुमेन इन एग्रीकल्चर, इनभायरोमेंट एण्ड रूरल प्रोडेक्सन 24 दिसम्बर 2006